

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र/सेल-E/विद्यार्थीदुर्घटना बीमा/2018-19

दिनांक: 05.05.2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक-मुख्यालय/ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

विषय :- विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित दावे निश्चित अवधि तक भिजवाकर निस्तारित करवाने बाबत

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित दावे निश्चित अवधि तक (छः माह के भीतर) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिला कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाए जाने चाहिए। कतिपय प्रकरणों में संबंधित संस्था प्रधान (आहरण वितरण अधिकारी) तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा इन दावों को प्रेषित किए जाने के संबंध में शिथिलता बरती जाती है जिससे विभाग को अनावश्यक न्यायालयवादों का सामना करना पड़ता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को इस बाबत निर्देशित करावे कि विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित दावे निश्चित अवधि (दुर्घटना की तिथि से छः माह के भीतर) में आवश्यक रूप से आपके कार्यालय को प्रेषित करें तथा प्राप्त प्रकरणों को जिले के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, कार्यालय को निर्धारित अवधि में भिजवाते हुए निस्तारित करवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा ऐसे समस्त प्रकरणों की समेकित सूचना इस कार्यालय को भी प्रेषित करें। दावा प्रकरणों के निस्तारण हेतु इस कार्यालय के परिपत्र समसंख्यक दिनांक 11.03.2020 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है (प्रति संलग्न)। इस सम्बन्ध में शिथिलता बरते जाने पर यदि कोई न्यायालय प्रकरण बनता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान (आहरण वितरण अधिकारी) तथा आपकी होगी। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु -

1. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि योजना के व्यापक प्रचार व विस्तार हेतु अधीनस्थ समस्त कार्यालय को निर्देशित करें।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान अपने अधीनस्थ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक मुख्यालय, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को योजना के व्यापक प्रचार व विस्तार हेतु निर्देशित करें।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि योजना के विस्तार व प्रचार हेतु अपने अधीनस्थ समस्त राजकीय विद्यालयों को निर्देशित करें।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।

प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति

माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर राजस्थान